बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 (क) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1666 दिनांक–19.06.15 –सह– संशोधित संकल्प संख्या 2609 दिनांक–08.09.15 द्वारा श्री दीपक कुमार, तत्कालीन उप प्राचार्य–सह– प्रभारी प्राचार्य औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, विस्फी, मधुबनी सम्प्रति उप प्राचार्य–सह– प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली के विरूद्ध निम्नांकित छः आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी ।

(1) व्यवसाय के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उन व्यवसायों का केन्द्राधीक्षक के रूप में व्यवहारिक परीक्षा लिया जाना ।

(2) केन्द्राधीक्षक द्वारा पत्रांक–11ए दिनांक–16.07.14 को निर्गत किया गया है परंतु इस पर दिनांक–11.08.14 का हस्ताक्षर है, अतः उनके द्वारा कागजातों के साथ फेरबदल किया जाना।

(3) संस्थान में नियमित उपस्थित न रहना ।

(4) निदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक के आदेश की अवेहलना करना।

(5) प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 सं0, विस्फी, मधुबनी की वेतन वृद्धि पर रोक के बावजूद वेतन वृद्धि की राशि की निकासी कर वित्तीय अनियमितता करना।

(6) प्रभारी प्राचार्य होने के बावजूद प्राचार्य के रूप में पत्राचार करना ।

2. उक्त नियमावली के नियम 17 (5) (ग) के अन्तर्गत श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विजय कुमार, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, का स्थानांतरण श्रम संसाधन विभाग से हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर संशोधित संकल्प संख्या–2609 दिनांक–08.09.15 के द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, उप सचिव श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित कुल छः (6) आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री दीपक कुमार के संबध में यह पाया गया कि "यद्यपि कि श्री कुमार के विरूद्ध गबन जैसे गंभीर आरोप नहीं लगाये गये हैं, फिर भी पर्याप्त सतर्कता के अभाव की वजह से जिन तथ्यों को लेकर उनके विरूद्ध उपर्युक्त सभी छः गठित आरोप परिस्थितिजन्य ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्रक्रियात्मक चूक एवं कार्य के दौरान पर्याप्त सजगता नहीं बरते जाने हेतु वे जिम्मेवार हैं"। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तत्पश्चात् नैसर्गिक न्याय का अवसर देते हुए विभागीय पत्रांक–902 दिनांक–18.03.16 द्वारा श्री दीपक कुमार को जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०–2583 दिनांक–31.08.2016 के द्वारा श्री कुमार को 'निदंन' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया ।